समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला आपूर्ति शाखा)
आदेश

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3540 दिनांक 30.04.2015, एवं 4006 दिनांक 18.05.2015 द्वारा वर्ष-2015-16 (माह जुलाई,2015 से जुन,2016) की अवधि के लिए राशन कूपन/किरासन तेल कूपन योजना अन्तर्गत लाभुक परिवारों को नया बार कोडेड कूपन उपलब्ध कराने हेतु संसूचित दिशा-निर्देश की प्रति इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 615 दिनांक 26.05.15 द्वारा पूर्व में ही सभी संबंधित पदाधिकारी को उपलबध कराया जा चूका है।

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 8780 दिनांक 12.11.15 के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित पूर्विकताप्राप्त श्रेणी (PHH) के अतिरिक्त पूर्विकताप्राप्त व्यक्तियों के लिए वर्ष-2015-16(माह दिसम्बर,2015 से जुन,2015) की अवधि के लिए राशन कूपन मेसर्स मनिपाल टेक्नॉलजीस लिमिटेड,कर्नाटक द्वारा दिनांक 11.01.2016 को इस जिले को उपलब्ध कराया गया है।

2.शहरी क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी/ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे प्रखंड/नगर निकाय का उक्त राशन कूपन स्वयं अथवा अपने अधिनस्थ कर्मियों अथवा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को प्राधिकृत कर जिला आपूर्ति कार्यालय से तीन दिनों के अन्दर कूपन प्राप्त कर विभागीय पत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अतिरिक्त पूर्विकताप्राप्त व्यक्तियों के लिए राशन कूपन को विधिवत पंजी में संधारित कर लाभुकों के बीच नियमानुसार वितरण कराना सुनिश्चित करेगें एवं कूपन वितरण हेतु पंजियों का संधारण निम्नवत करेगें:-

क्र0	प्रखंड/नगर निकाय का नाम	पंचायत का नाम/वार्ड नं0	कूपन का प्रकार	कूपन संख्या	लाभुक का नाम	लाभुको का राशन कार्ड का नं0	कूपन प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर/निशान	पहचान कर्ता का हस्ताक्षर	कूपन वितरण करने वाले कर्मी का हस्ताक्षर/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपरोक्त कूपन वितरण कार्य में प्रखंड विकास पदाधिकारी के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य करेगें एवं अपेक्षित सहयोग करेगें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि कूपन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी अनियमितता नही हो सुनिश्चित करेगें एवं कूपन वितरण के पूर्ण होने के पश्चात् वितरण से संबंधित पंजियों एवं बचे अवितरित कूपन को संबंधित अनुमंडल कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेगें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित पदाधिकारी/कर्मी स्वयं जबावदेह होगे। कूपन का वितरण पंचायत में अवस्थित किसी सरकारी भवन यथा पंचायत भवन/सरकारी विद्यालय इत्यादि स्थल पर ही शिविर लगाकर किया जाय। लाभूकों के बीच कूपन का वितरण स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की पहचान पर/राशन कार्ड में चिपकाये हुए फोटो से मिलान कर किया जाय, ताकि वास्तविक लाभूकों परिवारों को ही कूपन प्राप्त हो। किसी भी परिस्थिति में मुखिया अथवा डीलर को वितरण हेतु कूपन नही देगें। कूपन वितरण के क्रम लाभूकों के राशन कार्ड के अंतिम पन्ने के अभ्युक्ति स्तम्भ में कूपन संख्या अंकित करते हुए वितरण कर्मी द्वारा लघु हस्ताक्षर करवा सुनिश्चित करेगें। कूपन वितरण की तिथि,समय एवं स्थल का स्थानीय लोगों के बीच व्यापक रुप से प्रचार-प्रसार कराया जाय, ताकि वितरण के समय लाभुक उपस्थित रहकर अपना कूपन प्राप्त कर सकें।

कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधेपुरा/नगर पंचायत मुरलीगंज/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि कूपन वितरण हेतु अपने स्तर कर्मी/पर्यवेक्षीय पदा० की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगें एवं कूपन वितरण से संबंधित रोस्टर तैयार कर अपने स्तर से स्थानीय प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायेगें ताकि वे स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि कूपन वितरण कार्यक्रम में शामिल हो सकें।

3.अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड/नगर निकाय में उक्त राशन कूपन के वितरण कार्य का गहन पर्यवेक्षण करेगें एवं कूपन वितरण कार्यक्रम का शत प्रतिशत विडियोग्राफी करायेगें तथा कूपन वितरण के उपरांत विहित प्रपत्र में वितरण से संबंधित प्रखंडवार/पंचायतवार/नगर निकायवार/वार्डवार दैनिक प्रतिवेदन संध्या 05:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। साथ ही कूपन वितरण के पूर्ण होने के पश्चात् कूपन वितरण से संबंधित अंतिम प्रमाण प्रत्र ससमय उपलब्ध करायेगें। कूपन वितरण पूर्ण होने के पश्चात् कूपन वितरण से संबंधित पंजियों एवं बचे अवितरित कूपन को अपने अनुमंडल में भंडारण करना सुनिश्चित करेगें, इस हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि कूपन वितरण करने वाले पदाधिकारी/कर्मियों का विभागीय निदेशों से पूर्ण रूप से अवगत करा दिया जाय, तथा इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर दोषी पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय। कूपन वितरण हेतु प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक/कर्मी के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अनुमंडल पदाधिकारी अपने अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत अन्य पदाधिकारी/कर्मी की प्रतिनियुक्ति कर अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदनार्थ उपलब्ध करायेगें।

4.कूपन वितरण में पारदर्शिता बनाये रखने एवं अनियमिताओं की संभावना को रोकने तथा वितरण पर निगरानी रखने हेतु उड़नदस्ता दल का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः–

क्र०	अनुमंडल का नाम	प्रखंड/नगर निकाय का नाम	प्राधिकृत पदाधिकारियों का नाम/पदनाम	मोबाईल नं०
1	2	3	4	5
1	मधेपुरा	मधेपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा	9473191355
2		नगर परिषद मधेपुरा		
3		घैलाढ़		
4		ग्वालपाड़ा		
5		सिंहेश्वर		
6		शंकरपुर		
7		मुरलीगंज	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	9939682177
8		नगर पंचायत मुरलीगंज		
9		कुमारखंड		
10	उदाकिशुनगंज	उदाकिशुनगंज	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज	
11		ग्वालपाड़ा		
12		बिहारीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	9473191356
13		चौसा		
14		पुरैनी		
15		आलमनगर		

उड़नदस्ता दल को निदेशित किया जाता है कि वे उक्त आवंटित प्रखंड/नगर निकाय में कूपन वितरण की समय-समय पर औचक निरीक्षण करते रहेगें एवं कूपन वितरण में किसी प्रकार की गड़वड़ी/अनियमितता संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल उचित समाधान करेगें एवं विडियोग्राफी के साथ जॉच कर अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेगें। अगर जॉच के दौरान कूपन वितरण में गड़वड़ी/अनियमितता पाई जाती है तो दोषी कर्मियों के विरुद्ध निलंबन/अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। उड़नदस्ता दल को यह भी निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक दिन प्रखंडवार/निकायवार कूपन वितरण की समीक्षा कर प्रतिवेदन संध्या 5:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

5. सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने कार्यो के अतिरिक्त अपने-अपने आवंटित प्रखंड में कूपन वितरण कार्य का सतत् पर्यवेक्षण/अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेगें एवं समय-समय पर वस्तुस्थिति से अद्योहस्ताक्षरी/अपर समाहर्त्ता को भी अवगत कराते रहेगें।

क्र0	प्रखंड का नाम	प्रत्येक प्रखंड के वरीय पदाधिकारी का नाम/पदनाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4
1	मधेपुरा	श्री मुकेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	8986165706
2	घैलाढ़/चौसा	श्री कृष्ण मोहन प्रसाद,वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	9631044215
3	सिंहेश्वर/गम्हरिया	श्री क्यूम अंसारी, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	94734440808
5	शंकरपुर	श्री अरूण कुमार झा, वरीय उप समाहर्त्ता मधेपुरा	8544429937
6	मुरलीगंज/उदाकिशुनगंज	श्री राजेश रौशन, जिला आपूर्ति पदा0 मधेपुरा	906383551
7	कुमारखंड	श्री रविशंकर शर्मा, भूमि सुधार उप समाहत्ता मधेपुरा	9939682177
8	ग्वालपाड़ा/पुरैनी	श्री विनय कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता उदाकिशुनगंज	8544412343
10	बिहारीगंज	श्री विनय कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज	8544412343
13	आलमनगर	श्रीमति राखी कुमारी,जिला प्रोग्राम पदा0 मधेपुरा	9431005045

6. जिला स्तर पर कूपन वितरण कार्यक्रम के अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा वरीय प्रभार में रहेगें एवं कूपन वितरण के लिए गठित उड़नदस्ता दल पदाधिकारी/प्रत्येक प्रखंड के वरीय पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कूपन वितरण की समीक्षा कर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें।

7. अनुमंडल पदाधिकरी, मधेपरा/उदाकिशुनगंज/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थाना अध्यक्ष, मधेपुरा जिला कूपन वितरण शांतिपूर्ण सम्पन्न हो सुनिश्चित करायेगें।

इसकी सचूना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 38/आ0 मधेपुरा, दिनांक 14.01.2016

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा/नगर पंचायत, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति असैनिक, कोशी प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– सभी माननीय स0वि0स0/स0वि0प0 मधेपुरा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आप्त सचिव, माननीय सांसद मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।
16/1/16